(खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 अन्तर्गत परिवाद दर्ज कराने हेतु आवेदन)

कार्यालय–बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना

परिवाद संख्या– दिनांक– (कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)		
1.	*परिवादी का नाम :	
2.	*पिता/पति का नाम : (जो लागू न हो, काट दें)	
3.	*परिवादी का पता :	
	ग्राम/क्षेत्र :	
	प्रखंड :	डाकघर :
	थाना :	अनुमंडल :
	जिला : राज्य :	पिन कोड :
	मोबाईल नं०/फोन नं० :	ई मेल :
4.	*आधार कार्ड सं०/वैद्य पहचान पत्र की संख्या :	
5.	*परिवाद का विवरण : ....(अलग से पृष्ठ संलग्न किये जा सकते हैं)	
6.	परिवाद के समर्थन में संलग्न दस्तावेज :	
	1. *आधार कार्ड/वैद्य पहचान पत्र की छायाप्रति	
	2.	
	3.	
7.	*क्या पहले किसी लोक प्राधिकार के पास परिवाद दर्ज कराया गया है? हाँ ☐ नहीं ☐ यदि हाँ, तो लोक प्राधिकार का नाम, कार्यालय का पता एवं परिवाद दर्ज कराने की तिथि :	
8.	क्या पहले से किये गये परिवाद पर जवाब/आदेश प्राप्त है? हाँ ☐ नहीं ☐ यदि हाँ, तो जवाब/आदेश का ब्यौरा दें: ....(अलग से पृष्ठ संलग्न किये जा सकते हैं)	
9.	कोई अन्य सूचना, जिसका उल्लेख करना चाहें :	

मैं शपथपूर्वक घोषणा करती/करता हूँ कि उपरोक्त अंकित सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं।

स्थानः

दिनांकः परिवादी का हस्ताक्षर

(कार्यालय प्रयोग हेतु)

प्राप्ति संख्याः

हस्ताक्षर एवं मुहर